भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4416

30 मार्च, 2022 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटन हेतु नीति

4416. श्री राहुल कस्वां:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत आवंटन प्रशासित करने हेतु कोई नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विभिन्न मदों के आवंटन का पात्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान मद-वार आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनसंख्या में वृद्धि के अनुसार राज्यों को आवंटन में वृद्धि करने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का प्रचालन किया जाता है, जिसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है और यह देश में अधिकतम 81.35 करोड़ लाभार्थियों को कवरेज प्रदान करता है ताकि वे टीपीडीएस के माध्यम से सब्सिडीयुक्त खाद्यान्नों का मासिक लाभ प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ एनएफएसए की संबंधित सीमा (सीलिंग) तक पात्र लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) या प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) श्रेणी के अंतर्गत राशन कार्ड जारी करने, उचित दर दुकनों (एफपीएस) के माध्यम से उन्हें सब्सिडीयुक्त खाद्यन्नों का वितरण करने सहित टीपीडीएस के सभी प्रचालनात्मक पहुलुओं की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। तद्नुसार, यह विभाग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएफएसए के तहत चिह्नित अपने लाभार्थियों के लिए वितरण हेतु सभी एएवाई परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम और पीएचएच लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर पर अत्यधिक सब्सिडीयुक्त केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) पर 3, 2, और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्रमश: चावल, गेहूं और मोटा अनाज आवंटित करता है।

.....2/-

(ख): एनएफएसए के तहत, यह विभाग टीपीडीएस के माध्यम से एनएफएसए लाभार्थियों को वितरण करने के लिए राजस्थान सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटा अनाज) आबंटित करता है। एनएफएसए के तहत राज्य की वर्तमान कवरेज के अनुसार, यह राज्य प्रति वर्ष 27.92 लाख टन खाद्यान्न प्राप्त करने का पात्र है और राज्य की जरूरत के अनुसार विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षो के दौरान राजस्थान सरकार को गेहूं का आबंटन किया गया है। पिछले प्रत्येक तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान को आबंटित खाद्यान्नों का मद-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	एनएफएसए के तहत आबंटित गेहूं की मात्रा (लाख टन में)
2018-19	27.92
2019-20	27.92
2020-21	27.88
2021-22	27.71

(ग) और (घ): इस अधिनियम की धारा 9 यह प्रावधान करती है कि राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का आकलन जनगणना रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए संगत आंकड़ों के अनुसार अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। यह आबंटन प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एनएफएसए के तहत निर्धारित लाभार्थियों की संबंधित सीमा (सीलिंग) तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चिह्नित लाभार्थियों के आधार पर किया जाता है। अतः फिलहाल, इस अधिनियम के तहत जनसंख्या में वृद्धि के अनुसार खाद्यान्नों के आवंटन में वृद्धि करने का कोई प्रावधान नहीं है।

*****